न्यायालय— प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी—श्री एस0एस0गर्ग)

प्र0क0 77/2014 एच0एम0ए0
फाइलिंग नम्बर 230201046912013
संस्थित दिनांक 25.09.2013

1.	[redacted] पुत्र [redacted], उम्र [redacted] वर्ष, निवासी म0नं0 [redacted]—[redacted]. कॉलोनी—[redacted] तहसील व जिला [redacted] ....**वादी**
	बनाम
1.	श्रीमती [redacted] उर्फ [redacted] पत्नि श्री [redacted], उम्र [redacted] साल पुत्र स्व0 श्री [redacted], निवासी [redacted] व तहसील [redacted] जिला [redacted] ....**प्रतिवादी**

....

वादी द्वारा— श्री [redacted] अधिवक्ता।
प्रतिवादी द्वारा— श्री [redacted] , अधिवक्ता।

....

//निर्णय //

// आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित किया गया//

1— वादी [redacted] द्वारा यह दावा प्रतिवादिया श्रीमती [redacted] उर्फ [redacted] के विरूद्व विवाह विच्छेद हेतु हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा—13ए एच.एम.ए. के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादिया का विवाह दिनांक 20 अप्रेल 2003 को हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि दोनों पति—पत्नि के रूप में दिनांक 21.04.2003 से [redacted] में रहे। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि दोनों वर्तमान में अलग—अलग रह रहे हैं।

3— वादी का वाद इस प्रकार है कि उसकी प्रतिवादिया के साथ दिनांक 20.04. 2003 को शादी हुई थी। दिनांक 21.04.03 को वह [redacted] में आकर पति—पत्नि के रूप में रहे, परंतु प्रतिवादिया उसके साथ क्रूरता एवं असहयोग का व्यवहार करने लगी। उसका यथोचित सम्मान करना बंद कर दिया था। घर का सामान फेंक देती

थी, जिससे पूरे परिवार को मानसिक तनाव हो गया। प्रतिवादिया का उसके परिवारजनों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। वह अक्सर लडाई–झगड़ा करती थी। दिसम्बर 2004 में स्थाई रूप से वह अपने मायके चली गई है तथा अपने साथ उनके चढ़ाये हुये जेवर भी ले गई।

04– वादी के अनुसार प्रतिवादिया मायके में जाकर खुद एवं अपने भाई के माध्यम से फोन पर धमकी देती थी। उसने प्रतिवादिया को कई बार लाने का प्रयास किया, परंतु उसमें असफल रहा। उसका कहना है कि इतने समय से अलग रहने के कारण तथा कलह होने से उसे ऐसा लगता है कि भविष्य में उन दोनों का एक साथ पति–पत्नि के रूप में रहना संभव नहीं है। इस प्रकार उसने विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की है।

05– प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत करते हुये इस बात को अस्वीकार किया है कि उसका व्यवहार वादी के प्रति क्रूरतापूर्ण तथा असम्मानजनक था। इस बात को अस्वीकार किया है कि वह सोकर 9–10 बजे उठती थी। प्रतिवादिया के अनुसार वादी एवं उसके परिवारजन दहेज से संतुष्ट नहीं हुये इस कारण वह दहेज को लेकर उसकी मारपीट करते थे। प्रतिवादिया के अनुसार वह पूरे घर का काम करती थी फिर भी वादी एवं उसके परिवारजन उसका अपमान करते थे। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने परिवार में संस्कार एवं मान्यताओं का मान नहीं किया। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने वादी एवं परिजनों का सम्मान नहीं किया।

06– प्रतिवादिया के अनुसार वादी एवं उसके परिवारजन उसकी मारपीट करते थे, खाना नहीं देते थे। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने वादी के सामान को फेंक दिया। प्रतिवादिया के अनुसार उसका भाई मुरेना आया, तब उसे भी वादी ने दहेज की मॉग को दोहराया। इस बात को अस्वीकार किया है कि प्रतिवादिया ने वादी की भाभी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसकी भाभी ने उसके साथ बहु जैसा व्यवहार किया। प्रतिवादिया के अनुसार दिनांक 18.12.04 को वादी ने उसे घर से भगा दिया, जबकि वह बीमार थी, क्योंकि उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था।

07– प्रतिवादिया के अनुसार उसके [redacted] आने के बाद उसके इलाज में लगभग 10,000/– रूपये प्रतिमाह खर्च हुये। उसकी पुत्री की पढ़ाई में स्कूल में 3,000/– रूपये खर्च होता है, जिसका खर्चा वादी ने आज दिनांक तक नहीं उठाया है। अपितु उसे

बेसहारा पुत्री के साथ छोड़ दिया है, इस कारण वह मजबूरन अपने माता–पिता के पास मायके में रह रही है। वादी ने उससे मिलने तक की कोशिश नहीं की। प्रतिवादिया आज भी वादी के साथ रहने को तैयार है।

08– प्रतिवादिया ने इस बात को अस्वीकार किया है कि 9 वर्ष के दाम्पत्य जीवन को उसने ठुकराया है, अपितु प्रतिवादिया के अनुसार वादी ने उसे ठुकराया है। उसका यह भी कहना है कि वादिया के अपने भाभी के साथ अवैध संबंध हैं। इस प्रकार उसने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये वादी का दावा निरस्त करने की प्रार्थना की है। उसने यह भी निवेदन किया है कि वादी [redacted] में निवास नहीं करता है, इस कारण [redacted] न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं।

09– उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर मेरे पूर्व विद्वान अधिकारी द्वारा निम्नांकित वाद प्रश्नों की रचना की गई है, जिनके निष्कर्ष मेरे द्वारा उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं:–

	वाद प्रश्न	**सकारण निष्कर्ष**
1.	क्या प्रतिवादिया के द्वारा वादी व उसके परिवारजन्य के साथ शादी के बाद से ही अत्यंत क्रूरतापूर्ण व असहनीय व आक्रात व्यवहार कर मानसिक अवसान या मानसिक क्रूरता कारित की है?	**अप्रमाणित**
2.	क्या वादी के द्वारा प्रतिवादिया से दहेज में कार खरीदने के लिये चार लाख रूपये की मॉग कर दहेज लाने हेतु वादी के द्वारा प्रतिवादिया को प्रताड़ित किया गया है?	**अप्रमाणित**
3.	क्या वादी के उसके भाभी के साथ अवैध संबंध हैं इसलिये वादी प्रतिवादिया को रखना नहीं चाहता है?	**अप्रमाणित**
4.	क्या प्रतिवादिया वादी से पिछले 9 वर्षों से बिना किसी कारण के पृथक रह रही है और प्रतिवादिया ने वादी का परित्याग कर दिया है?	**अप्रमाणित**
5.	सहायता एवं वाद व्यय?	**निर्णयानुसार**

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

10– वादी की ओर से [redacted], [redacted] एवं [redacted] का कथन कराते हुये इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि [redacted] की शादी प्रतिवादिया [redacted] उर्फ [redacted] के साथ दिनांक 20.04.2003 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। दोनों शादी के बाद [redacted] कॉलोनी [redacted] में आकर पति–पत्नि के रूप में रहे, परंतु वादी के अनुसार प्रतिवादिया का व्यवहार उनके परिवार के प्रति अत्यंत कठोर एवं क्रूर था। वह बड़ों का सम्मान नहीं करती थी, लड़ाई–झगड़ा करती थी, अपने मायके आ गई थी। इस बात का खण्डन [redacted] उर्फ [redacted] द्वारा

यह कहकर किया है कि वादी का व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। उसके उसकी भाभी से अवैध संबंध थे, उसके साथ मारपीट करते थे। प्रतिवादिया के इस कथन की पुष्टि उसके भाई [redacted] द्वारा की गई है। सुविधा की दृष्टि से मैं सर्वप्रथम वाद प्रश्न क्रमांक–1 का निराकरण किया जाना उचित समझता हूँ।

वाद प्रश्न क्र0 1 का निराकरण

11– इस वाद प्रश्न को प्रमाणित कराने का भार वादी पर था। वादी साक्षी [redacted] वा.सा.–1 एवं उसकी पत्नि [redacted] वा0सा0–2 ने प्रतिवादिया पर क्रूरता का आक्षेप लगाते हुये यह कथन किया है कि उसकी दिनचर्या अनियमित थी। वह उन लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती हुये झगड़ा एवं मारपीट करती थी। साक्षी [redacted] ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेरा क्रमांक 14 में इस बात का उल्लेख किया है कि वह नहीं बता सकता कि [redacted] ने [redacted] को खाना–पीना एवं कपड़ें से तंग किया अथवा नहीं किया, परंतु इस साक्षी के अनुसार उसने तंग नहीं किया हे। इस साक्षी के अनुसार [redacted] की शादी उसके भाई एवं माता–पिता द्वारा [redacted] से की गई थी। इस साक्षी ने अपने कथन के पैरा क्रमांक 19 में इस बात का उल्लेख किया है कि [redacted], [redacted] के साथ किराये के मकान में रहती थी, वह उसके साथ नहीं रहता था। इस प्रकार इस साक्षी का कथन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जानकारी का आधार या तो [redacted] थी अथवा [redacted]। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह [redacted] का बड़ा भाई है। अब मैं साक्षिया [redacted] के कथन को देखे जाना उचित समझता हूँ।

12– वा0सा0–2 [redacted] ने अपने मुख्य परीक्षण में उपरोक्त बातों का उल्लेख करते हुये प्रतिवादिया की क्रूरता प्रमाणित करने का प्रयास किया है, परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 13 में इस बात का उल्लेख किया है कि [redacted] की अलग रहने वाली बात काफी पुरानी होने से वह तारीख, महीना, सन् नहीं बता सकती। इस बात को अस्वीकार किया है कि उन्होंने सपना को दिनांक 18.11.2004 को घर से मात्र पहने हुये कपड़ों में निकाल दिया था। इस साक्षी के अनुसार सपना उस समय गर्भवती थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 14 में इस बात को स्वीकार किया है कि घर से निकालने वाली बात अथवा अन्य तथ्य जो [redacted] और [redacted] के मध्य ही हुये, उसकी जानकारी उसे [redacted] ने दी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी साक्ष्य मुख्य बिन्दुओं में अनुश्रित साक्ष्य की परिधि में आती है। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के

साथ [redacted] के अवैध संबंध होने के आक्षेप लगाये गये हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह हितबद्ध साक्षी है। अब मैं साक्षी [redacted] के कथन को देखे जाना उचित समझता हूँ।

13— वादी संजय वा0सा0—3 ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने वादपत्र का समर्थन करते हुये कथन किया है, परंतु प्रतिवादिया के पैरा क्रमांक 15, 16 में इस बात का उल्लेख करते हुये वह यह नहीं बता सकता कि किस महीना, सन् को अपने भाई से अलग हुआ था। इस साक्षी के अनुसार उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसने दावे में इस बात का उल्लेख किया है अथवा नहीं किया है। इस साक्षी के अनुसार वह कई बार [redacted] को लेने गया, परंतु वह नहीं आई, जबकि [redacted] ने इस बात का खण्डन किया है। अब मैं इस बिन्दु पर साक्षिया [redacted] के कथन को देखे जाना उचित समझता हूँ।

14— सपना प्र0सा0—1 के अनुसार वादी एवं उसके परिवारजन दहेज के लिये उसकी मारपीट करते थे। वह पथरी की बीमारी से ग्रसित थी, परंतु उसका इलाज नहीं कराया था। इस साक्षी के अनुसार उसका समस्त स्त्रीधन वादी ने अपने पास रख लिया है। इस साक्षी ने इस बात को अस्वीकार किया है कि वह छोटी—छोटी बातों की शिकायत अपने मायके में करती थी। इस साक्षी के अनुसार उसके पास फोन था ही नहीं। इस साक्षी की जानकारी में यह तथ्य नहीं है कि उसके पति को क्या वेतन मिलता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य सुचारू रूप से वार्तालाप नहीं होते थे। इस साक्षी का यह कथन स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में इसलिये नहीं की कि संभवतः उसका व्यवहार सुधर जायेगा। यह बात स्वाभाविक भी है कि इस साक्षी के कथन की पुष्टि [redacted] [redacted]0सा0—2 (प्रतिवादिया का भाई) ने की है। अब मैं [redacted] के कथन को देखे जाना उचित समझता हूँ।

15— [redacted] [redacted] प्र0सा0—2 के अनुसार वादी एवं उसके परिजन दहेज में चार लाख रूपये कार खरीदने के लिये पैसे की मॉग करते थे, इस कारण उन्होंने [redacted] से मिलना—जुलना बंद कर दिया था। इस साक्षी के अनुसार [redacted] की शादी हुये 13 वर्ष हो गये हैं, जबकि 25 बार उनका आना—जाना हुआ, परंतु उसका पति [redacted] अथवा जिठानी [redacted] का व्यवहार इतना खराब है कि कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं मिल सकता। इस प्रकार यह साक्षी अपने कथन से अखण्डित रहता है। यह बात सही है कि वह प्रतिवादिया का भाई है, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अमुख कारण से न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। अतः इन परिस्थितियों में वादी की अपेक्षा, प्रतिवादिया की साक्ष्य इस बिन्दु पर अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है।

16— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं पाता हूँ कि वादी अपना वाद इस बिन्दु पर प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः **वाद प्रश्न कमांक–1 को मैं अप्रमाणित** पाता हूँ।

वाद प्रश्न कमांक–2 एवं 3 का निराकरण

17— इन वादप्रश्नों को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादिया पर था, क्योंकि उनकी आपत्ति के कारण यह वादप्रश्न बनाये गये हैं। साक्षी सपना एवं उसके भाई संजय का कहना है कि वादी का व्यवहार सपना के साथ कूरतापूर्ण था तथा दहेज की मॉग को लेकर मारपीट करते थे तथा दहेज में कार के लिये चार लाख रूपये मॉगते थे। इस बात का खण्डन वादी साक्षियों ने किया है। अब मैं सर्वप्रथम प्रतिवादिया साक्ष्य को देखे जाना उचित समझता हूँ।

18— प्रतिवादिया [redacted] ने अपने मुख्य परीक्षण में इस बात का उल्लेख किया है कि वादी एवं उसके परिजनों का व्यवहार उसके साथ कूरतापूर्ण था तथा उसके लिये असहनीय था। उनका कहना है कि वादी एवं उसके परिवारजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इस कारण उसे तंग करते थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 13 में यह कथन किया है कि वादी ने उसके परिवारजनों को निभाया नहीं। इस बात को अस्वीकार किया है कि उसने वादी के परिवारजनों को एडजस्ट नहीं किया। इस साक्षी के अनुसार उसने शिकायत इसलिये नहीं कि ताकि भविष्य में संबंध सुधर जाये। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा कमांक 15 लगायत 18 में वादी की ओर से जो बचाव लिये हैं, जिन्हें उसने अस्वीकार किया है। इसके अलावा उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि अमुख कारण से यह साक्षी न्यायालय में असत्य कथन दे रही है अन्यथा शादी के बाद पति–पत्नि का साथ–साथ रहना समाज की सामाजिक व्यवस्था है।

19— प्रतिवादिया [redacted] [redacted] ने अपने कथन में मुख्य परीक्षण के अलावा प्रतिपरीक्षण में इस बात का उल्लेख किया है कि [redacted] और उसके पति [redacted] की शादी को लगभग 13 साल हो गये हैं। वह कई बार [redacted] आया, उन्होंने उसका अपमान किया। उसका यह भी कहना है कि [redacted] एवं उसकी भाभी का व्यवहार इतना खराब है कि कोई व्यक्ति उनके साथ निभ नहीं सकता है, इस कारण उनकी बहन सपना अलग कमरा किराये का लेकर रही, परंतु कूरतापूर्ण व्यवहार में कमी नहीं आई। यहॉ तक की सपना गर्भवती थी, तब भी उसका इलाज नहीं करवाया, अपितु उसे घर से निकाल दिया।

हालाकिं यह सपना का भाई है, परंतु प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं, जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

20— जहॉ तक वादी साक्षी सुधीर एवं संगीता का संबंध है। ये दोनों साक्षी यह आक्षेप लगाते हैं कि वह समस्त स्त्री धन व चढ़ावे का सामान लेकर चली गई है, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है कि अमुख सामान अमुख दुकान से खरीदा गया तथा किसने खरीदा, उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की। साक्ष्य पढ़ने से ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब विवाद 13 साल से चल रहा है तथा कोई भी सामान्य प्रकृति का आदमी नहीं होगा, जो उक्त सामान अथवा जेवरात प्रतिवादिया को सौंप दे। हालांकि इस प्रकरण में यह मुख्य विषय नहीं है कि दहेज की कितनी और किस रूप में मॉग की। इस प्रकरण में इस बात की भी जॉच नहीं होनी है कि वादी के अपनी भाभी से किस सीमा तक अवैध संबंध थे। मेरे मत में केवल यह देखा जाना है कि विवाद का कारण यह बिन्दु तो नहीं था।

21— उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये **वाद प्रश्न कमांक 2 एवं 3 को प्रमाणित नहीं** पाता हूॅं।

वाद प्रश्न कमांक—4 का निराकरण

22— मैंने अपना मार्गदर्शन न्यायदृष्टांत श्रीमती इन्दु कुशवाह विरूद्ध मनोज सिंह 2013 भाग—5 एम0पी0एच0टी0 पेज नं0 404 से लिया है, जिसमें मान्नीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा यह न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है:—

Many instances of cruelty committed by appellant/wife were proved -- she left matrimonial house frequently -- on being asked by husband, she threatened -- she gave beating to her husband by Kunti - She compelled husband to leave the house of his father -- He resided in a rented house to avoid unpleasant happenings due to acts of his wife -- She levelled false allegations against the character of parents of her husband -- Hence, it is proved beyond doubt that appellant/wife committed cruelty -- Trial court rightly dissolved the marraige between the parties by granting decree of divorce.

23— न्यायदृष्टांत अनिल कुमार राठौर विरूद्ध शशि राठौर 2011 भाग—4 एम.पी.एच.टी. पेज नं0 257, रमाकांत दुबे विरूद्ध उषा दुबे 2009 भाग—3, जे.एल.जे. पेज नं0 313, सुखराम विरूद्ध श्रीमती निरूपमा 2007 भाग—3 एम.पी.डब्ल्यू.एन. पेज नं0 42 तथा

<u>पंजाब अरबन प्लानिंग एण्ड डपलपमेंट ऑथोरिटी विरूद्ध शिव सरस्वती आयरन एण्ड स्टील रि–रोलिंग मिल्स एस0सी0 187 में यह</u> न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं:–

(1) Plaintiff has to prove his own case -- he cannot rely on the weakness of defendant's case.

(2) Simply stated that the wife abused the appellent -- The appellant did not examine any of his family members or relatives in support of his case -- The allegations, even if accepted, were in the nature of normal "wear and tera" in matrimonial life of a couple.

(3) Mental cruelty must be of such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. The situtaion must by such that the wronged party cannot reasonbly be asked to put up with the other party. It is not necessary to prove that the mental cruelty is such as to cause injury to the health of the petitioner.While arriving at such conclusion regard must by had to the social status, educational level of the parties, the society the move in, the possibility or otherwise of the parties ever living together in case they are already living apart and all other relevant facts and circumstances, which it is neither possible nor desirable to set out exhaustively.

(4) In Matrimonialduties ans responsibilities in particular, there is a sea change. They are of varying degrees from house to house, person to person. A set of facts stigmatised as cruelty in one case may not be so in another case. The cruelty alleged may largely depend upon the type of life the parites are accustomed to or their economic and social conditions. It may also depend upon their culture and human values to which they attach importance.

(5) Legal cruelty comprises two different elements, viz, ill-treatment actually complained of and the resultant danger or the apprehension thereof.

(6) Whether acts and conducts complained of constitute cruelty have to be constueud in reference to the whole matrimonial relationship. It may be that various acts or conduct complained of, by itself and in isolation to each other, do not amount to cruelty, but in their overall effect they may amount to cruelty.

(7) It depends upon the facts and circumstances of each case whether the conduct of the parties amounts to cruelty or not. So far as the present case is concerned, the conduct of respondent, as discussed above, is not of such a nature, as to amount cruelty. therefore, the appellant has failed to prove the ground of cruelty.

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों से मैं पूरी तरह सहमत हूॅ। अब इस प्रकरण के जो तथ्य आये हैं, उनको देखे जाना उचित समझता हूॅ।

24– साक्षी [redacted] को यह भी जानकारी नहीं है कि प्रकरण में सपना नरवर में रह रही है या नहीं, परंतु उसे यह दावा नरवर के पते पर पेश किया है। इस साक्षी के अनुसार वर्तमान में उसे 16,000/– रूपये वेतन मिलता है। इस साक्षी के अनुसार वह सपना को नहीं रखना चाहता है, जबकि सपना प्र0सा0–1 के अनुसार उसे पत्नि का अधिकार मिले तो वह साथ में रहने को तैयार है, जब साक्षी से पूछा गया कि पत्नि के क्या अधिकार हैं तो उसने कहा था जिस मकान में वे लोग रहते थे, उसमें भी विवाद था। उसके जेठ शराब पीकर गाली बकते थे तथा दहेज की मॉग करते थे। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मैं साक्षी [redacted] के कथन का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना उचित समझता हूॅ।

25– सपना प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 15 में इस बात को स्वीकार करती है कि संजय के उसके भाभी–भाई से अच्छे संबंध थे, परंतु उसे परेशान करते थे। इस साक्षी के अनुसार उसने रिपोर्ट इसलिये नहीं की कि भविष्य में संबंध सुधर सकते हैं। इस साक्षी के अनुसार उसकी भाभी कहती थी कि जो उसके बच्चे हैं, वह वादी से हैं। उनका यह भी आक्षेप था कि शादी के बाद अपनी भाभी को लेकर जयपुर चला गया था। इस कथन से साक्षिया अखण्डित रहती है। उसने वादिया के सभी बचावों को अस्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य स्वतंत्र साक्षियों से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः मेरे मत में वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादिया ने बिना किसी कारण के उसे परित्यक्त कर रखा है। यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि बिना किसी कारण के प्रतिवादिया अलग रह रही है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी पत्नि अपने पति से अलग नहीं रहती है।

26– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं पाता हूॅ कि वादी वाद प्रश्न कमांक 4 को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः **वाद प्रश्न कमांक–4 को अप्रमाणित** पाता हूॅ।

<u>सहायता एवं वाद व्यय</u>

27– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं पाता हूॅ कि वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। दोनों पक्षों के मध्य पति–पत्नि के मध्य संबंध इतने खराब नहीं हैं कि उनका भविष्य में रहना संभव न हो सके। उनकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके हैं। अतः ऐसी भी संभावना प्रतीत नहीं होती है कि दोनों के मध्य भविष्य में संबंध नहीं

सुधर सकते हों अथवा दोनों का साथ–साथ रहना संभव नहीं हो। अतः वादी का दावा वास्ते धारा 13 एच0एम0ए0 निरस्त किया जाता है।

28– वादी प्रतिवादिया का वाद व्यय भी वहन करेगा।

29– तद्नुसार डिक्री बनाई जावे।

30– अधिवक्ताशुल्क प्रमाणित होने पर, सूची अनुसार देय हो।

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)

आदेश मेरे बोलने पर लिखा गया एवं खुले न्यायालय में घोषित किया गया

(एस0एस0गर्ग)
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय
मुरेना (म0प्र0)